मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

संख्या : लाजि0–एम0टी0–120/2023 (आ0चा0 चयन) दिनांकः मार्च 06 ,2023

सेवा में,

1. **अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उ0प्र0 लखनऊ।**
2. **पुलिस आयुक्त**– कमिश्नरेट लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर/वाराणसी/प्रयागराज/आगरा/गाजियाबाद।
3. **पुलिस महानिरीक्षक,** पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
   प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त सेनानायक,**
   पीएसी वाहिनी उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी चालक के चयन वर्ष 2023 (01.07.2023 से 30.06.2024) के रिक्त पदो के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है।

2– उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सरकारी सेवा नियमावली–2015 के नियम–5(क) में **आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीए**सी पात्र होगें जो निम्न शर्ते पूर्ण करते हों:–

1. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों
2. अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्में या सहायता के ऑखो की दृष्टि 6/6 हो

3– पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हों।

4– मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होना अनिवार्य हैं ।

5– भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 03 वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हों ।

6– विगत पॉच वर्षो की अवधि में:–

(एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गयी हो, या
(दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों ।

7–विगत तीन वर्षो की अवधि में:–

(एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों।

3– **नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जायः–**

1-नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (विशेषतः दृष्टि परीक्षा) नमाांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंको में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण अवश्य संलग्न किया जाय ।

2.वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

3. इस निर्देश का जनपदों/वाहिनियों/इकाईयों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये ।
4. चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई हैं ।
5. आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नही किये जायेगें ।
6. नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाएं सर्व प्रकार सही–सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नही हैं। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथ का मिलान इनके अभिलेखो से अवश्य करा लिया जाय।
7. पूर्व चयन वर्ष में प्राप्त नामांकन का परीक्षण से पाया गया था कि बहुताय वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन भेजे गये थे, जिनके पास मात्र हल्के वाहन चलाने के लाइसेन्स थे, जिसके संबंध में यह स्पष्ट करना है कि नामित किये जाने वाले कर्मियो के पास हैवी एवं हल्के दोनो वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। कुछ वाहिनियों द्वारा ऐसे भी कर्मियों के नामांकन उपलब्ध करा दिये गये थे जिनके हैवी लाइसेन्स की वैधता समाप्त हो गयी थी। नामांकन भेजने के पूर्व जनपद/वाहिनी स्तर पर नामित किये जाने वाले कर्मी के आयु, सेवा, चिकित्सा, दण्ड एवं लाइसेस की वैधता का परीक्षण कराकर पात्र कर्मियों के नामांकन ही मुख्यालय पर भेजे जायं।
8. निर्धारित प्रारूप एवं निर्देश इस कार्यालय के बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular Click here-Go to circular Archive पर प्रकाशित किया गया है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार आपसे अनुरोध है कि समस्त जनपदो/पीएसी वाहिनियो/इकाईयो से अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी का नामांकन अंग्रेजी के TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में संलग्न प्रारूप–ए, में तैयार कर आवेदन पत्र, चिकिसा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित पठनीय छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 30.03.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें । निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नही किये जायेगें, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।

संलग्नकःप्रारूप "ए"

06/3/2023

(बालेन्दु भूषण सिंह)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
निमि0 अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपिः– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष को सादर सूचनर्थ एवं उपरोक्तानुसार नामांकन प्रेषित किये जाने हेतु सादर प्रेषित हैं ।

संलग्नकःप्रारूप "ए"

आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु बोर्ड प्रपत्र।

क्र0सं0	पात्रता सूची का क्रमांक	पी0एन0ओ0 नम्बर	कर्मी का नाम	पिता का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई	जन्मतिथि	दिनांक 01.07.2017 को आयु (चयन वर्ष-2017 के सापेक्ष)			पोषक पद पर भर्ती तिथि	प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त जनपद/ वाहिनी में आमद की तिथि	चयन वर्ष के सापेक्ष दिनांक 01.07.2017 को कुल सेवा (प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर)			दृष्टि परीक्षण का परिणाम 6/6 होना अनिवार्य है। (कलर ब्लाइंड न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाये)	हैवी एवं लाइट वेहिकल के लाइसेन्स धारक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय	चयन वर्ष के विगत 05 वर्षों के पूर्व के दण्डो का विवरण																वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति, डीपीसी के दिनांक तक)			लम्बित आपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है)			विभागीय कार्यवाही -नियम (14(1) के अन्तर्गत			कार्मिक के विरूद्ध दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही-/ अभियोग के विवेचनाधीन होने/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/ अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित)		संस्तुति	अभ्युक्ति (अनुपयुक्त/ स्थगित/चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे मे रखे जाने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय)
																		सत्यनिष्ठा रोकी गयी हो तो उसका विवरण		दीर्घदण्ड				लघुदण्ड				क्षुद्रदण्ड				प्रतिकूल प्रविष्टि														
								वर्ष	माह	दिन			वर्ष	माह	दिन			हां/ नहीं	यदि हां तो उसका विवरण	दीर्घ दण्ड की संख्या/वर्ष	दीर्घ दण्ड का दिनांक	संसूचित की तिथि	दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अर्न्तगत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर आनति	लघु दण्ड की संख्या	लघु दण्ड का दिनांक	संसूचित की तिथि	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड /अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है।)	क्षुद्र दण्ड की संख्या	क्षुद्र दण्ड का दिनांक	संसूचित की तिथि	दण्ड की प्रकृति	हां/ नहीं	यदि हां तो उसका विवरण	निलम्बन आदेश संख्या, दिनांक	निलम्बन का कारण (अधिकतम 20 शब्दों में)	बहाली आदेश संख्या, दिनांक	अपराध संख्या/धारा/वर्ष/थाना/जनपद	आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक	अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक	जांच सगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में)	कार्मिक के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में)	परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	123	068441300	RAJBEER SINGH	SRI SAUDAN SINGH	CONST	AYODHYA	01-03-1987	30	4	0	02-09-2006	02-04-2007	10	2	29	6/6	HEAVY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नोटः-

1-प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम मे कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये।

2-उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही तैयार की जाये।

3-एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

4-एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

5-अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6-बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर बोर्ड प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।

संलग्नक की चैक लिस्टः-

नोटः-निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

1- अभियोग पंजीकृत होने की दशा मे कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मी के नाम/पी0एन0ओ0 नम्बर/तैनाती सहित) मु0अ0सं0, धारा, थाना व जनपद, आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या-38, 39 व 40 में किया जाय।

2- विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र निर्गत करने की तिथि सहित आरोप पत्र की प्रति।

3-दण्डादेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति, यदि कोई हो।

4-बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्कम में जनपद स्तर पर पारित आदेशों की प्रति।

5-कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।

6-विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।

7-विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/ बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

8-प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा-असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या-33 व 34 में किया जाय।

9- यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरूद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नही किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नही माना जायेगा।

10-यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नही है बल्कि प्रचलित जांच के चलते प्रविष्टि आस्थिगित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

11-यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर	नियुक्ति प्राधिकारी नाम, पद, मुहर	पुलिस मुख्यालय स्तर पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर